

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम रामगढ शेखावाटी कैम्प कोर्ट पालास
व अलजाम श्रीमति रेणू मीणा (आर ए एस)

1. राजू देवी पत्नी स्व० रामचन्द्र शर्मा उम्र 38 वर्ष
2. सुलोचना कुमारी पुत्री स्व० रमचन्द्र शर्मा उम्र 20 वर्ष निवासी गण ग्राम नेठवा तहसील रामगढ जिला सीकर राज०।
3. गिरधारी लाल पुत्र स्व० रामचन्द्र
4. टेकराज पुत्र स्व० रामचन्द्र नाबालिग जरिये संरक्षिका निज माता राजू देवी पत्नी स्व० रामचन्द्र निवासी ग्राम नेठवा तहसील रामगढ जिला सीकर राज०।

.....वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार महोदय रामगढ तहसील-रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज०।
2. जिला कलक्टर महोदय जिला सीकर राज०।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत उद्घोषणा एवं रिकोर्ड संशोधन

मुकदमा नम्बर - 200/13 सन् 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू श्रीमति रेणू मीणा (आर. ए. एस.) व हाजरी वादी संख्या 03 एवं मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद बाबत उद्घोषणा एवं राजस्व रिकोर्ड में संशोधन अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रमाणित नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैंसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निजीX..... मुबलिकX.....बाबत X
खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगोरह Xफीसदी सालाना आज की
तारीख वसूलिया वितक..... Xको अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 14.05.2018 सन् 2018 को जारी किया गया।

मोहर



दस्तख्त उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)
ओहदा लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2018
ग्राम पंचायत

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	01.00	00	स्टाम्प वकालत नामा	00.00	00
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्तनामा वकील			महन्तनामा वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	05.00	00	मुतफरिक		